भारत सरकार
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालय
तृतीय तल, केन्द्रीय राजस्व एनेक्सी भवन, वीरचंद पटेल पथ, पटना

व्यापार सूचना – 03 / विविध / 2015 (सेवाकर)
दिनांकः 13 / 07 / 2015

व्यापार, उधोग एवं संबंधित प्रतिष्ठान का ध्यान वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली, द्वारा निम्न विषय पर दिनांक 03/06/2015 को सं0 संख्या 334/5/2015–टीआरयू (पीटी) से जारी किये गये परिपत्र संख्या 184/3/2015–एसटी की ओर आकर्षित किया जाता है। परिपत्र की विषयवस्तु नीचे दी गई है।

Subject: Clarification on rate of service tax on restaurant service - regarding

The Service Tax rate has been increased to 14% with effect from 1st June, 2015. Certain doubts have been raised in regard to abatement on value of services provided in relation to serving of food or beverages by a restaurant, eating joint or a mess, having **the facility of air-conditioning or central air-heating** in any part of the establishment, at any time during the year.

2. Matter has been examined. Valuation of services provided in relation to serving of food or beverages by a restaurant, eating joint or a mess **having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment**, is determined as provided in rule 2C of the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006. In the said rule, service portion in an activity wherein goods, being food or any other article of human consumption or any drink (whether or not intoxicating) is supplied in any manner as a part of the activity, at a restaurant has been specified as 40 percentage of the total amount charged for such supply. In Budget, 2015, no change has been made in abatement and the rate of service tax on the abated value has been increased to 14% with effect from 1st June, 2015. Therefore, effective service tax rate would be 5.6% (14% of 40%) of the total amount charged. Hence, with the increase in the applicable rate of service tax from 12.36% (including education cesses) to 14%, the effective rate on such establishments has increased from 4.9% to 5.6% of the total amount charged.

3. It is further clarified that exemption from service tax still continues to services provided in relation to serving of food or beverages by a restaurant, eating joint or a mess, other than those having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year.

4. अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, पटना के क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी व्यापार समितियॉ/वाणिज्य मंडलों/आर. ए. सी. के सदस्यों (संगठित एवं लघु उद्योग), से अनुरोध है कि इस व्यापार सूचना के विषयवस्तु की ओर अपने घटक सदस्यों और अन्य सभी संबंधित एवं विशेष कर रेस्तरां सेवाओं से जुड़े संबंधित लोगों का ध्यान आकृष्ट करें। इस संबंध में सेवाकर करदाता CBEC के बेबसाइट www.cbec.gov.in, www.servicetax.gov.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इस हेतु अपने प्रमंडीलय अधिकारी या परिक्षेत्रीय अधिकारी से भी संपर्क कर सकते है।

Sd/-

अपर आयुक्त (सेवा कर)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर मु0, पटना

सं0 संख्याः सेवाकर/व्या. सू./पैट/2015/ 641-702 दिनांकः 13/7/2015

आदेशानुसार प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारितः

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, पटना
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, पटना
3. संयुक्त आयुक्त (निवारण/अंकेक्षण/अधिनिर्णय), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, पटना
4. डाक सूची – 1, 2, 3 के अनुसार
5. सहायक/उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, प्रमंडल (सभी) पटना–I/पटना–II/सेवाकर प्रमंडल पटना/गया/भागलपुर/मुजफ्फरपुर। आप सभी से अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ प्रक्षेत्र पदाधिकारियों को अवगत करावें।
6. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर (मु0), पटना/नोटिस बोर्ड/www.cexpatna.bih.nic.in

13/07/15

सहायक आयुक्त (सेवा कर)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर मु0, पटना